Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उपखण्ड अधिकारी अन्ता हवाई सिंह यादव के विरुद्ध रिश्वत मांग का प्रकरण दर्ज।

जयपुर, दिनांक 18 सितम्बर, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसकी प्लानिंग की भूमि पर पूर्व उपखण्ड अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्ति को हटाने की एवज में वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, अन्ता, जिला बारां हवाई सिंह यादव द्वारा **5 लाख रुपये** रिश्वत की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य प्लानिंग की भूमि के एग्रीमेन्ट पर लगे स्टे को हटाने की एवज में भी आरोपी एसडीएम द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत की गई।

एसीबी,कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** द्वारा शिकायत का नियमानुसार गोपनीय सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा परिवादी की प्लानिंग की भूमि के एग्रीमेन्ट पर लगे स्टे को हटाने की एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का अनुरोध किए जाने पर आरोपी एसडीएम द्वारा 45 हजार रुपये लेने पर सहमति व्यक्त की गई तथा उक्त रिश्वत राशि अपने कथित दलाल को देने के लिए कहा गया।

गोपनीय सत्यापन के पश्चात आरोपी एसडीएम को प्रस्तावित ट्रैप कार्रवाई की भनक लग जाने के कारण रिश्वत राशि के लेन–देन की कार्रवाई नहीं हो सकी। सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाए जाने पर **हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, अन्ता, जिला बारां** के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत रिश्वत मांग का प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी बारां द्वारा किया जाएगा। अनुसंधान के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।